

पांचवीं अनुसूची
(धारा 83 देखिए)

	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 को संशोधित किए जाने वाला उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
	(1)	(2)	(3)
5	अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6 [31/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001]	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में नियम 6 के उपनियम (3) के पश्चात्, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) ।
10		“स्पष्टीकरण 2—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलती से लिए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 12 में उपबंधित है ।” ।	
15			